निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आषाढ़ 1938 (श0)

(सं0 पटना 545) पटना, वृहस्पतिवार, 30 जून 2016

सं० 2/आ0–01–15/2012–**207**–सा0प्र0

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

6 जनवरी 2015

श्री एहसान अहमद, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–1385/11, तत्कालीन परीक्ष्यमान उप समाहर्त्ता, मुंगेर सम्प्रति वरीय उप समाहर्त्ता, समस्तीपुर के विरूद्ध राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित द्वितीय अर्द्धवार्षिक विभागीय परीक्षा, 2011 में कदाचार में लिप्त होने के प्रतिवेदित आरोप के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–3093 दिनांक 21.02.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

अपर सदस्य–सह–अपर विभागीय जाँच आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के पत्रांक–13 दिनांक 18.02.2014 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) के प्रावधानों के तहत् विभागीय पत्रांक–5815 दिनांक 30.04.2014 द्वारा संचालन पदाधिकारी को जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुये श्री अहमद से उपर्युक्त प्रमाणित आरोप के लिए अभ्यावेदन की मांग की गयी।

श्री अहमद के द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 02.07.2014 समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप–पत्र, वीक्षक की गवाही तथा उनके द्वारा समर्पित बचाव बयान की गहन जाँच किये बिना ही निष्कर्ष दिया गया है। इसके अलावा इनका कहना है कि चीट की सहायता से नकल करने का जो आरोप इनपर लगाया गया है वह सही नहीं है, क्योंकि इन्हें चीट की सहायता से नकल करते हुए पकड़ा ही नहीं गया है, जो वीक्षक की गवाही से स्पष्ट होता है। जिस समय वीक्षक के द्वारा इनकी उत्तर पुस्तिका ली गयी उस वक्त वे परीक्षा कक्ष में उपस्थित नहीं थे। ऐसी स्थिति में यदि इनकी उत्तर पुस्तिका के आस–पास कोई चीट बरामद भी हुआ तो Toilet से लौटने के बाद इन्हें दिखाया जाना चाहिए था तथा उक्त चीट पर उनका हस्ताक्षर अंकित कराया जाना चाहिए था। साथ ही इनका यह भी कहना है कि संचालन पदाधिकारी का यह निष्कर्ष तर्कसंगत नहीं है कि टेबुल पर प्राप्त चीट से Toilet जाने से पूर्व ही उत्तर पुस्तिका में नकल किया गया था। वस्तुतः नकल में लिप्त कोई भी परीक्षार्थी उस चीट–पूर्जा को, जिसकी सहायता से नकल किया गया हो, उत्तर पुस्तिका के पास छोड़कर बाहर जायेगा यह मान लेना नितान्त अतार्किक है। उनके द्वारा किसी प्रकार का कदाचार नहीं किया गया तथा स्मरण से ही उत्तर लिखा गया है। उक्त आधार पर श्री अहमद द्वारा यह अनुरोध किया गया कि उनके विरूद्ध किसी प्रकार की अनुशासनिक कार्रवाई नहीं किया जाय तथा लगाए गए आरोपों से मुक्त किया जाय।

आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री अहमद द्वारा समर्पित अभ्यावेदन की समीक्षा के उपरांत पाया गया कि श्री अजय कुमार सिंह, अपर परिवहन आयुक्त–सह–वीक्षक के बयान से यह स्पष्ट रूप से

प्रमाणित होता है कि वीक्षक के द्वारा श्री अहमद की उत्तर पुस्तिका में चीट पूर्जा प्राप्त करने के समय श्री अहमद अपनी सीट पर नहीं थे बल्कि उक्त अवधि में वीक्षक से अनुमति प्राप्त कर शौचालय गये हुए थे। श्री अहमद का यह कथन कि उनके द्वारा अपने स्मरण से उत्तर लिखा गया है यह सही नहीं है क्योंकि यह कदापि संभव नहीं है कि प्राप्त किये गये चिट पूर्जा में अंकित प्रश्नोत्तर एवं इनके द्वारा उत्तर पुस्तिका में लिखा गया प्रश्नोत्तर हू–ब–हू हो। संचालन पदाधिकारी के द्वारा भी इस बिन्दु पर सम्यक् समीक्षा करते हुए यह प्रतिवेदित किया गया है कि चिट पूर्जा एवं उत्तर पुस्तिका के शब्दवार मेल खाने के आधार पर आरोपी के द्वारा उनके टेबुल पर प्राप्त चिट से Toilet जाने के पहले ही उत्तर पुस्तिका में नकल किया जाना प्रमाणित होता है एवं उक्त के लिए श्री अहमद को प्रासंगिक परीक्षा में कदाचार के लिए दोषी पाया गया है। श्री अहमद के द्वारा अपने द्वितीय स्पष्टीकरण अभ्यावेदन दिनांक 02.07.2014 में किसी नये तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है।

अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा वर्णित तथ्यों के आधार पर श्री अहमद के अभ्यावेदन दिनांक 02.07.2014 को अस्वीकृत करते हुये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् **''निन्दन एवं संचायात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक''** का दण्ड निरूपित करने का विनिश्चय किया गया।

उपर्युक्त विनिश्चित दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 13361 दिनांक 23.09.2014 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2238 दिनांक 24.12.2014 द्वारा प्रस्तावित दण्ड में सहमति संसूचित की गयी।

प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में श्री एहसान अहमद, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–1385/11, तत्कालीन परीक्ष्यमान उप समाहर्त्ता, मुंगेर सम्प्रति वरीय उप समाहर्त्ता, समस्तीपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् निम्नांकित दण्ड दिया एवं संसूचित किया जाता है–

(क) निन्दन (वर्ष 2011–12)

(ख) संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अनिल कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 545-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in